12.1.24

9.5.24

9.5.24 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा [illegible] तिथि तय की जाकर पत्रावली [illegible] पेश हो।

23/7/24 पत्रावली पेश हुई प्रार्थिगण एवं अभिभाषक अनुपस्थित। मूल वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अपील पत्र वाद का भाग होकर वाद के अभाव में चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

वादी सं. 2 की मृत्यु हो चुकी है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा